# कार्यालय : मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

वन भवन – 1, हजारीबाग 825301 (झारखण्ड)

Ph. & Fax (O) - 06546 -222393, Cell No. : 9431142800 E-mail: cf.hazaribagh@gmail.com

**मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग द्वारा दिनांक 03.06.2016 को चौपारण ब्लॉक, (चौपारण से चोरदाहा) तक 11 के0 वी0 ट्रांशमिशन लाईन निर्माण हेतु 5.6322 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव का स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन।**

1. दिनांक 03.06.2016 को श्री राजीव रंजन, भा0 व0 से0, वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, श्री आर0 एस0 शर्मा, अधीक्षण अभियंता, डी0 वी0 सी0, श्री सत्येन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, हजारीबाग, श्री आर0 के0 मिश्रा, वन क्षेत्र पदाधिकारी, अमीन निरीक्षक एवं अन्य विभागीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों के साथ डोमाडांडी पी0 एफ0, चौपारण पी0 एफ0, ताजपुर पी0 एफ0 तथा बिगहा पी0एफ0 के अंतर्गत अपयोजन हेतु प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि यह Dry deciduous Miscellaneous Forest है, जिसका औसत घनत्व 0.6 है। इस स्थल पर महुआ, केन्द, ढोठा इत्यादि प्रजाति के वृक्ष हैं। वृक्षों के पातन की आवश्यकता नहीं है।

2. निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व में ही अधिकांश प्रस्तावित स्थल पर इलेक्ट्रिक पोल गाड़ दिया गया है और उसपर तार खिंचते हुए विद्युत प्रवाहित कर दिया गया है। इस संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल ने प्रतिवेदित किया है कि संबंधित तत्कालीन संलिप्त दोषी पदाधिकारियों पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के धारा 33 के तहत् कार्रवाई की गई है।

3. चारो मौजा के पीलर संख्या 3A, 5, 6A, 10, 11, 23A के जी0 पी0 एस0 रिडिंग की जांच की गई जो सही पाया गया। नक्शा और सरजमीन का मिलान किया गया। प्रस्तावित अपयोजन भूमि सही पायी गयी। अमीन निरीक्षक ने भी नक्शा और सरजमीन की मापी की। प्रस्तावित अपयोजन भूमि सही पाया।

4. स्थल निरीक्षण के पश्चात् अमीन निरीक्षक, हजारीबाग द्वारा प्रस्तावित भूमि का प्लौटवार क्षेत्रफल जांचा गया, जो सही पाया गया। इस प्रस्ताव अंतर्गत 5.3242 हे0 अधिसूचित वनभूमि तथा 0.308 गैरमजरूआ खास जंगल झाड़ी भूमि है। कुल प्रस्तावित वनभूमि का रकबा 5.6322 हे0 है, जिसमें 4.473 हे0 भूमि पर पूर्व में ही विद्युत खम्भा गाड़ने तथा तार लगाने का काम प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कर दिया गया है। इस प्रकार संशोधित अपयोजन प्रस्ताव के अनुसार 4.473 हे0 भूमि का नियमितीकरण तथा 1.1592 हे0 नया अपयोजन प्रस्ताव है।

5. चूँकि यह वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव राष्ट्रीय महत्व की तथा ग्रामीणों के लिये अति कल्याणकारी योजना हेतु है। अतएव वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के अनुशंसा से सहमत होते हुए प्रस्तावित वनभूमि का 4.473 हे0 के नियमितीकरण तथा 1.1592 हे0 नये वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार करने की अनुशंसा की जाती है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्वानुमति के बिना ही वनभूमि (4.473 हे0) का अपयोजन किया गया है। इस हेतु दण्डात्मक एन0 पी0 भी0 एवं क्षतिपूरक वनरोपण की अतिरिक्त शर्तें लगाई जा सकती है।

मुख्य वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

Mahendra Prasad,
IFS
Chief Conservator of Forests
Territorial Circle,
Hazaribag

D:\CFH\F.C. Act\13-E-5-10-2015.doc